E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023...148...... पटना, दिनांक:– 08/01/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 551 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सुश्री प्रिया, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04413) के विरूद्ध दिनांक 29.07.2023 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1766 दिनांक 09.04.2024 द्वारा सुश्री प्रिया से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 2045 दिनांक 08.05.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से अनुशंसा सहित सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 1526 दिनांक 13.09.2024 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि ये दिनांक 29.07.2023 से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित हैं एवं खानापुरी तथा याद्दास्त लेखन का कार्य भी अधूरा छोड़ रखा है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा योगदान करने हुए दिए गए निदेश को नजरअंदाज करते हुए सुश्री प्रिया दिनांक 06.07.2024 से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया है। फलस्वरूप बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संविदा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप तथा सुश्री प्रिया से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया है कि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वास्थ्य खराब रहने का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है एवं स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर पुनः कार्य करने की भी बात अंकित की गयी है। यद्यपि कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में सुश्री प्रिया द्वारा दिनांक 06.07.2024 से त्याग पत्र देने का उल्लेख किया गया है। एक तरफ इनके द्वारा कार्य करने की बात कही जा रही है एवं दूसरी तरह त्याग पत्र दिया जा रहा है, जो इनके मनमानेपन को स्वतः परिलक्षित कर रहा है। ये स्वयं ही तय नहीं कर पा रही हैं कि यह कार्य करना चाहती हैं या नहीं। इनका कृत्य अपने वरीय पदाधिकारियों को गुमराह करने जैसा है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। इनका इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने से इन्हें आवंटित कार्य बाधित हुआ है एवं इनके द्वारा निदेशालय एवं बंदोबस्त कार्यालय को अलग–अलग स्पष्टीकरण/आवेदन देकर गुमराह किया जा रहा है, इनका आचरण स्वच्छ संविदा कर्मी के सर्वथा प्रतिकूल है, इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के फलस्वरूप बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 की कंडिका–8 के आलोक में सुश्री प्रिया, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04413) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

7/1/25

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023 148 **पटना, दिनांक** :– 08/01/2025

प्रतिलिपि :– सुश्री प्रिया, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04413), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023 148 **पटना, दिनांक** :– 08/01/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023 148 **पटना, दिनांक** : 08/01/2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप